कार्य/... 9.6.2025

2025/222

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

पानादेवी बनाम देवकी आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 44 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.04.2025	प्रार्थीया पानादेवी की तरफ से वकील श्री मनसाराम झोरड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा केलनिया के ख.नं. 30/1, 30/2, 460/1, 91/1, 95/1, 95/2 की कुल 17.034 है. भूमि में से मृतक तुलछीराम पुत्र हनुमान के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.05.2025 को पेश हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
7.5.2025	वकील/पक्षकार उपस्थित/PU माहू अवकाश में ... पत्रावली ... वास्ते ... दिनांक 4.7.2025 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
09/6/25	वकील प्रार्थीया द्वारा कुछ वाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थीया ने निवेदन किया राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया 212 ... मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	ह. पानादेवी (अंगूठा निशान) राजीनामा के कारण ... (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested